इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2020—ज्येष्ठ 8, शक 1942

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 2-07-2019-सात-7 भोपाल, दिनांक 26 मई 2020

मध्यप्रदेश राजस्व अभिलेख नियम, 1959 के भाग-तीन अभिलेख की कम्प्यूटरीकृत प्रति का प्रदाय से संबंधित नियमों में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 256 के साथ पठित धारा 258 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खंड (उनहत्तर) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना

प्रस्तावित करती है, धारा 256 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिवस का अवसान होने पर संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो कि संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में, किसी भी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उस के प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 56 में, सारणी के अनुक्रमांक 3 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक 4,5,6 एवं 7 जोडे जाएं, अर्थात्:-

अनुक्रमांक	अभिलेखों का विवरण	प्रथम पृष्ठ के लिए फीस	प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए फीस
"4.	नामांतरण पंजी की प्रति (ए-4 आकार में)	30.00	15.00
5.	किसी राजस्व प्रकरण में आदेश की प्रति/ किसी राजस्व प्रकरण में आदेश पत्रिका की प्रति/ राजस्व प्रकरण पंजी की प्रति (ए-4 आकार में)	30.00	15.00
6.	हस्तलिखित खसरा पंचसाला (स्केन की गई प्रति) (ए-4 आकार में)	30.00	15.00
7.	हस्तलिखित राजस्व प्रकरण पंजी (स्केन की गई प्रति) (ए-4 आकार में)	30.00	15.00।"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2020

क्रमांक एफ-2-7-2019-सात-शा-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-7-2019-सात-शा-7, दिनांक 26 मई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान उपसचिव.

F-2-07-2019-VII-Sec 7 Bhopal, the 26th May 2020

The following draft of amendment to the rule regarding Part III Supply of Computerised Copy of Record of the Madhya Pradesh Revenue Records Rules, 1959 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (LXIX) of sub-section (2) of section 258 read with section 256 of the Madhya Pradesh Land revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) is hereby published as required by sub-section (3) of section 256 for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment will be taken into consideration on the expiry of 15 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 56, after serial number 3 of the table, the following serial numbers 4, 5, 6 and 7 shall be added, namely :-

S.No.	Particulars of Records	Fee for first page	Fee for every additional page
"4.	Copy of Namantran Register (in A-4 size)	30.00	15.00
5.	Copy of an Order in a Revenue Case/Copy of an Order Sheet in a Revenue Case/Copy of Revenue Case Register (in A-4 size)	30.00	15.00
6.	Hand written Khasra Panchasala (Scanned Copy) (in A-4 size)	30.00	15.00
7.	Hand written revenue case Register (Scanned Copy) (in A-4 size)	30.00	15.00.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2020

क्रमांक एफ–2–11–2018–सात–शा–7.– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संभागों, जिलों, उपखण्डों तथा तहसीलों के परिवर्तन, सृजन तथा समाप्ति) नियम, 2018 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (एक–क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस का अवसान होने पर, संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप संशोधन नियम

इन नियमों में, –

प्ररूप–एक में शब्द, अंक तथा कोष्ठक "धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक "धारा 13 की उपधारा (3)" प्रतिस्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2020

क्रमांक एफ-2-11-2018-सात-शा-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-11-2018-सात-शा-7, दिनांक 26 मई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान उपसचिव.

Bhopal, the 26th May 2020

F. 2-11/2018/VII/Sec7.- The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Bhu-Rajaswa Sanhita (Sambhagon, Jilon, Upkhandon Tatha Tahsilon Ke Pariwartan, Srijan Tatha Samapti) Niyam, 2018 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 read with sub-section (1) and clause (i-a) of sub-section(3) of Section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) is hereby published as required by sub-section (3) of the said section for information of all person likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft amendment will be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Secretary. Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal from any person with respect to the said draft of amendment rules on or before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT AMENDMENT RULE

In these rules,-

In from-I for the words, figure and bracket "the proviso to sub-section (2)" the words, figure and bracket "sub-section (3)" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.